

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा, जिला-चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या- 11/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक- 14.06.2021

1. रामेश्वर मुत्तबन्ना जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी साण्ड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
2. चांदी पत्नी जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी साण्ड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

- प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्रीलाल पिता धनराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी सांड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
2. कनीराम पिता भूरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी सांड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
3. लालुराम पिता भुरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी सांड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. शंकर पिता भुरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी सांड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
5. बदामीबाई पत्नी रतन जाति जाट आयु वयस्क निवासी सांड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
6. रतनीबाई पत्नी रतन जाति जाट आयु वयस्क निवासी सांड तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

- विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

### आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा साण्ड प0ह0 कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा में खाता सं0 203 की आराजी नं0 1014/195 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नं0 1015/677 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नं0 1016/711 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.2300 हैक्टेयर, इसी प्रकार खाता संख्या 210 की आराजी नं0 1017/713 रकबा 0.1200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 600/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा साण्ड प0ह0 कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा में खाता सं0 203 की आराजी नं0 1014/195 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नं0 1015/677 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नं0 1016/711 रकबा 0.9400 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.2300 हैक्टेयर, इसी प्रकार खाता संख्या 210 की आराजी नं0 1017/713 रकबा 0.1200 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा

